मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रमांक7853/एनआर–7/मनरेगा/2010, भोपाल, दिनांक 26/07/2010

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–.....(समस्त जिले)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत ..... (समस्त जिले)

विषयः– संकल्प 2010 के क्रियान्वयन एवं प्रगति के संबंध में ।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त संकल्प 2010 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत संबंधित संकल्प 2010 के बिन्दु अवलोकन हेतु प्रेषित हैं । इन संकल्प बिन्दुओं के संबंध में परिषद द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये जायेगे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रूही खान)
उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र.7854/एनआर–7/मनरेगा/2010, भोपाल, दिनांक 26/07/2010

प्रतिलिपि :–

संभाग आयुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक न्याय विभाग

विषय : संकल्प 2010 का क्रियान्वयन ।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 19.5.2010 को सभी विभागों के माननीय मंत्रियों एवं प्रमुख सचिवों को संबोधित किया गया और राज्य विधान सभा में प्रारित संकल्प 2010 में शामिल सभी बिन्दुओं की कार्य योजनाओं पर संक्षिप्त चर्चा की। इन सभी बिन्दुओं पर संबंधित विभागों के मंत्रियों एवं प्रमुख सचिवों से विस्तृत चर्चा करने हेतु माह जून, 2010 के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम तय करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए।

दिनांक 19.5.2010 की बैठक के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न संकल्पों के Rollout जो प्रथम प्रारूप में तैयार किए गए हैं, संलग्न है। परन्तु यह ध्यान में रहे कि यह Rollout केवल आगे के कार्य में सहायता करेंगे। इस पर विस्तृत मसौदा नोडल अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

प्रत्येक बिन्दु के लिए निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। उनके द्वारा संबंधित बिन्दुओं पर कार्यान्वयन योजना (Rollout) तैयार कर प्रत्येक कार्ययोजना से संबंधित बिन्दुओं के लिए समय–सीमा का निर्धारण भी प्रस्तावित किया जावेगा।

भाग –अ

यह भाग उन संकल्पों से संबंधित है, जिनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा सामाजिक न्याय विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

सरल क्र. –1

संकल्प क्रमांक – 6 : प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को 4 लेन एवं जिला मुख्यालयों को 2 लेन सडकों से जोडा जाये, सभी ग्रामों को बारहमासी संपर्क सडको से जोडा जाएगा।

नोडल अधिकारी :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

सह–नोडल अधिकारी :– मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।

बारहमासी संपर्क सडकों के निर्माण की गतिविधियां जिलें में प्रारंभ हो चुकी हैं। अब चुनौती है कि कार्यान्वयन योजना में तैयार की जा रही समय सीमा का ध्यान रखकर समय–समय पर कदम उठाते हुए सतत् मॉनिटरिंग की जावेगी।

संकल्प क्रमांक – 6 का प्रथम भाग लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। इस पर उनके द्वारा कार्रवाई की जावेगी। तब भी सामान्य प्रशासन विभाग से रिपोर्टिंग के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नियुक्त किया है। इस तरह लोक निर्माण विभाग से जानकारी प्राप्त कर अग्रेषित करने की जिम्मेवारी भी इस विभाग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की होगी।

सरल क्र. – 2

संकल्प क्रमांक – 14 : प्रत्येक ग्राम का मास्टर प्लान बनाया जाये।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पेयजल योजना को विकसित कर उसका कार्यान्वयन किया जावेगा। नोडल अधिकारी इस प्रक्रिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं संबंधित अवयवों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

संकल्प क्र. – 16 आगामी चार वर्षो में सिंचाई की स्थापित क्षमता में 7.50 लाख हैक्टेयर की वृद्धि की जाए।

नोडल विभाग : नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को बनाया गया है।

नोडल अधिकारी :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।

प्रारंभिक चर्चा में यह तय पाया गया है कि अगले 3 वर्षों में 1.00 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि का लक्ष्य पंचायत एवं ग्रामीण दिकास विभाग द्वारा विकसित माईको इरिगेशन के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार की जा रही कार्य योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संबंधित अवयवों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सकल्प क्र. –18 : वैज्ञानिक आधारों पर जल के युक्तियुक्त दोहन की योजना बनायी जाए।

नोडल विभाग : जल संसाधन विभाग होगा।

नोडल अधिकारी :– संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन।

जल संसाधन विभाग के द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अवयवों के कार्यान्वयन के लिए संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

संकल्प क्र. – 21 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल में आगामी 3 वर्षो में 5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाए।

नोडल विभाग : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।

नोडल अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अवयवों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

संकल्प क्र.– 29 वन आधारित रोजगार को बढाने के लिए वनों में टसर, लाख, एवं चारा का विकास किया जाए ।

नोडल विभाग : वन विभाग ।

नोडल अधिकारी :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

वन विभाग के द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अवयवों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

संकल्प क्र. – 53 खेल सुविधाओं का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाए ।

नोडल विभाग : खेल एवं युवक कल्याण ।

नोडल अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।

खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अवयवों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

संकल्प क्र. – 70 : शासकीय खरीदी पारदर्शी एवं उचित दरों पर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था में यथोचित परिवर्तन किए जाए ।

नोडल विभाग : वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग ।

नोडल अधिकारी :– अपर सचिव, ग्रामीण विकास ।

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के द्वारा तैयार की जा रही रणनीति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अवयवो के कार्यान्वयन के लिए अपर सचिव ग्रामीण विकास आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव 22/5/10
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
सामाजिक न्याय विभाग

प्रति,

1- निज सचिव, मंत्री, सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
2- निज सचिव, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग।
3- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
4- सचिव, सामाजिक न्याय विभाग।
5- आयुक्त, सामाजिक न्याय ।
6- आयुक्त, पंचायत, तिलहन संघ परिसर, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल।
7- संचालक, ग्रामीण रोजगार।
8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
9- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद ।
10- संचालक, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन।
11- परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी/परियोजना प्रशासक, आईएलपी ।
12- परियोजना समन्वयक, म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना।
13- राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ।
14- समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ।
15- अपर सचिव, ग्रामीण विकास ।
16- उप सचिव, पंचायत ।
17- उप सचिव, सामाजिक न्याय ।
18- मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
19- उपायुक्त, ग्रामीण आवास ।

सरल क्र. – 5

संकल्प क्रमांक 41 : कपिलधारा से लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई के लिए विद्युत/डीजल पंप उपलब्ध कराया जाए।

नोडल अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

सह नोडल अधिकारी : संचालक, ग्रामीण रोजगार ।

इस संकल्प में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधन किया जाकर अनुसूचित जाति कृषकों के अलावा अनुसूचित जनजाति कृषकों को भी शामिल करने संबंधी आदेश दिए जावेंगे। कपिलधारा लाभान्वित कृषकों को सिंचाई के लिए विद्युत/डीजल पंप उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही की गयी है। इसी को आगे बढाते हुए संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जाना है।

सरल क्र. – 6

संकल्प क्रमांक – 43 : मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत राशि बढ़ाकर रूपये 10,000 की जाये।

नोडल विभाग : सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस विषय में आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

सरल क्र. – 7

संकल्प क्रमांक – 60 : पंचायत सचिवों के जिला कैडर की स्थापना की जाये।

नोडल अधिकारी : आयुक्त, पंचायत ।

इस संबंध में अधो–हस्ताक्षरी द्वारा आयुक्त पंचायत एवं संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। माह मई के अंतिम सप्ताह में जिला काडर की स्थापना एवं सेवा शर्तों संबंधी प्रस्तावों पर तैयार मसौदे को विधि विभाग को परिमार्जन हेतु भेजा जावेगा।

सरल क्र.–8

संकल्प क्रमांक –61 : ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान के लिए मुख्य मंत्री आवास मिशन आरंभ किया जाये ।

नोडल अधिकारी : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण आवास मिशन की स्थापना अगस्त 2010 तक सम्पन्न कर ली जाए। इस हेतु आधार अभिलेख तैयार कर विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन प्राप्त कर माह अगस्त 2010 तक इसको पूर्ति को जानी होगी।

भाग –ब

यह भाग उन संकल्पों से संबंधित है जहां अन्य प्रशासकीय विभागों को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है और संबंधित विभागों की सूची में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा सामाजिक न्याय विभाग की भूमिका है। इस पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

संकल्प क्र. –13 ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री पेयजल योजना प्रारंभ की जाए।

नोडल विभाग : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

नोडल अधिकारी :– राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान ।

प्रस्तावित संशोधन

ग्राम के समग्र विकास के लिए अधोसंरचना निर्माण की कार्ययोजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाये।

नोडल अधिकारी – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि मास्टर प्लान ग्राम के समग्र विकास की अधोसंरचना से संबंधित होगा। इस विषय पर एक आधार अभिलेख तैयार करना होगा और उस पर निर्णय प्राप्त करने होंगे।

चूँकि ग्रामों की अधोसंरचना की आवश्यकतायें कई विषयों से संबंधित हो सकती हैं, व्यावहारिक दृष्टि से यह देखना होगा कि मार्च 2013 तक किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

इन चिन्हित मापदंडों के आधार पर यदि ग्रामों को वर्गीकृत कर आगे कार्यवाही की जाना है तो उस पर भी विचार किया जावेगा। ऐसा करते समय जिला स्तर पर नोडल जिम्मेवारी तय करनी होगी और विभिन्न अवयवों अथवा घटकों के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए जिन विभागीय कार्यक्रमों का सहारा लिया जाना है उन्हें चिन्हित करना आवश्यक होगा। ऐसा इस विभाग के अलावा अन्य विभागों के कार्यक्रमों के द्वारा भी संभव होगा।

सरल क्र. – 3

संकल्प कमांक – 15 : आगामी 3 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जाए।

नोडल अधिकारी : आयुक्त, पंचायत ।

प्रदेश की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण की रणनीति तैयार करनी होगी। इस हेतु आयुक्त, पंचायत (अध्यक्ष) ; मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ; मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं संचालक, ग्रामीण रोजगार की समिति का गठन किया जाता है। इस समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर समग्र रूप से विचार कर रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा।

सरल क्र. – 4

संकल्प क्रमांक – 37 : समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाया जाये।

इस कार्य के लिए नोडल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग न होकर सामाजिक न्याय विभाग होगा। इस परिवर्तन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जा चुका है।

नोडल अधिकारी – आयुक्त, सामाजिक न्याय ।

इस संकल्प के कियान्वयन के लिए आधार अभिलेख तैयार किया जावेगा। अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं को साथ लेकर जिला एवं जनपद स्तर पर कार्यान्वयन के लिए समग्र नीति तैयार की जावेगी और आवश्यकतानुसार इस हेतु प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जावेगी। विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में लक्षित हितग्राहियों को समय पर सभी कार्यक्रमों के विभिन्न अवयवों का पूर्ण लाभ मिल सके और रिपोर्टिंग व्यवस्था कारगर हो इस पर कार्यवाही की जावेगी।

इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित अन्य विकास कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए जो आवश्यक कार्यवाही की जाना हो वह भी इस संकल्प के कार्यान्वयन बिन्दुओं में शामिल किए जावेंगे।